

BILATERAL AIR SERVICES AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF INDIA

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ZAMBIA

The Government of India and the Government of the Republic of Zambia hereinafter described as the "Contracting Parties";

BEING parties to the Convention on International Civil Aviation (hereinafter referred to as the Convention) opened for signature at Chicago on the 7th December, 1944;

AND DESIRING to conclude an Agreement for the purpose of establishing air services between and beyond their respective territories;

Have agreed as follows:

b)

ARTICLE I

Definitions

For the purpose of the present Agreement unless the context otherwise requires :-

term the a) "aeronautical authorities" shall mean, in the case of India, the Director General of Civil Aviation and in the case of the Republic of Zambia, the Minister responsible for Civil Aviation and in both body cases; any person or authorised to perform the functions presently exercised by the said Director General or by the said Minister;

"Convention" means the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the Seventh day of December, 1944



: 2 :

c)

d)


and includes any Annex adopted under Article 90 of that Convention and any amendment of the Annexes or of the Convention under Articles 90 and 94 thereof so far as those Annexes and amendments have been adopted by both Contracting Parties;

- the term "designated airline" shall mean an airline which the aeronautical authorities of one Contracting Party have designated in writing to the aeronautical authorities of the other Contracting Party, in accordance with Article IV of the present Agreement;
- the term "tariff" means the prices to be paid for the carriage of passengers and cargo and the conditions under which these prices apply, including prices and conditions for agency and other auxiliary services, but excluding remuneration and conditions for the carriage of mail; and
- e) the terms "territory", "air service", "International air service" and "stop for nontraffic purposes" have the meanings respectively assigned to them in Articles 2 and 96 of the Convention.

ARTICLE II

Grant of Rights

1. Each Contracting Party grants to the other Party the rights specified in the present Agreement for the purpose of establishing air services on the routes specified in the Annex thereto (hereinafter called "the agreed services" and "the specified routes"). The agreed services





navigation of such aircraft while within its territory shall apply to aircraft of the designated airline of the other Contracting Party.

: 4 :

2. The laws and regulations of one Contracting Party governing entry into, stay in and departure from its territory of passengers, crew, cargo and mail such as those regarding passports, customs, currency and health and quarantine shall apply to passengers, crew, cargo and mail carried by the aircraft of the designated airline of the other Contracting Party while they are within the said territory.

3. Passengers in direct transit across the territory of either Contracting Party shall be subject to no more than a very simplified control. Baggage and cargo in direct transit shall be exempt from Customs duties and other similar taxes.


ARTICLE IV

Designation of Airlines

1. Each Contracting Party shall have the right to designate in writing to the other Contracting Party one airline for the purpose of operating the agreed services in accordance with the Annex to this Agreement.

2. On receipt of the designation, the Contracting Party shall, through its own aeronautical authorities and subject to the provisions of paragraphs (3) and (4) of this Article, without delay grant to the designated airline the appropriate operating authorisation.

3. The aeronautical authorities of one Contracting Party may require the airline designated by the other Contracting Party to satisfy them that it is qualified to fulfil the under conditions prescribed the and laws normally applied by them to regulations the operations of air carriers and to international commercial air services.





ARTICLE VII

: 6 :

Exemption from Customs duty and other charges

1. Supplies of fuel, lubricating oils, spare parts, regular equipment and aircraft stores introduced into or taken on board aircraft of the designated airline of one Contracting Party and intended solely for use by or in such aircraft and remaining on board on departure from the last airport of call in that territory shall be accorded, with respect to customs duty, inspection fees or similar charges, treatment not less favourable than that granted by the second Contracting Party to the national airlines operating scheduled international air services. The materials referred to above shall be kept under customs supervision or control.

2. Provided that neither Contracting Party shall be obliged to grant to the designated airline of the other Contracting Party exemption or remission of customs duty, inspection fees or similar charges unless such other Contracting Party grants exemption or remission of such charges to the designated airline of the first Contracting Party.

ARTICLE VIII

Capacity Provisions

1. The designated airline of each Contracting Party shall, in all respects, enjoy fair and equal opportunity for the carriage of international traffic between and beyond the territories of the two Parties.

2. In the operation by the designated airline of either Contracting Party of the agreed air services, the interests of the designated airline of the other Party shall be taken into consideration so as not to affect unduly the services which the latter provides on all or part of the same route.



3. The capacity to be provided, the frequency of services to be operated and the nature of air service that is, transiting through or terminating in the territory of the other Contracting Party shall be agreed between designated airlines in accordance with the principles laid down in Paragraphs (1) and (2) and the provisions of this Article. Such agreement shall be subject to the approval of the aeronautical authorities of the two Contracting Parties.

: 7 :

4. Any increase in the capacity to be provided or frequency of services to be operated by the designated airline of either Contracting Party shall be agreed, in the first instance, between the designated airlines and shall be to the approval of the aeronautical subject the estimated of authorities on the basis requirements of traffic between the territories of the two Parties and any other traffic to be such jointly agreed and determined. Pending capacity and settlement, the agreement or frequency entitlements already in force shall prevail.

5. If the designated airlines of the Contracting Parties fail to agree on any matter on which their agreement is required under the provisions of this Article, the aeronautical authorities of the Contracting Parties shall endeavour to reach agreement thereon.

6. The capacity to be provided, the frequency of services to be operated and the nature of air service, that is, transiting through or terminating in the territory of the other Contracting Party as agreed to in accordance with the provisions of this Article shall be specified in an exchange of letters between the aeronautical authorities of the Contracting Parties.

ARTICLE IX

Provision of Operating Information

Each Contracting Party shall cause its designated airline to communicate to the



: 8 :

aeronautical authorities of the other Contracting Party, as long in advance as practicable, prior to inauguration of the agreed services, the type of service, the type of aircraft to be used, the flight schedules, tariff schedules and all other relevant information concerning the operation of the agreed services including such information as may be required to satisfy the aeronautical authorities that the requirements of the present Agreement are being duly observed. The requirements of this Article shall likewise apply to any changes concerning the agreed services.

ARTICLE X

Provision of Statistical Information

The aeronautical authorities of either Contracting Party shall cause their designated airlines to furnish to the aeronautical authorities of the other Contracting Party, statistics relating to the traffic carried during each month on their air services to, from and through the territory of the other Contracting Party showing the countries of origin and destination and the points of embarkation and disembarkation of such traffic. Such statistics shall be furnished as early as possible.

ARTICLE XI

Tariffs

1. The tariffs to be charged by the airline of one Contracting Party for carriage to or from the territory of the other Contracting Party shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors, including cost of operation, reasonable profit, and the tariffs of other airlines.

2. The tariffs referred to in paragraph (1) of this Article shall, if possible, be agreed between the designated airlines concerned of both Contracting Parties, after consultation with the other airlines operating over the whole or part of the route, and such agreement shall, wherever possible, be reached by the use of the procedures



of the International Air Transport Association for the working out of tariffs.

: 9 :

3. The tariffs so agreed shall be submitted for the approval of the aeronautical authorities of both Contracting Parties at least sixty (60) days before the proposed date of their introduction. In special cases, this period may be reduced, subject to the agreement of the said authorities.

This approval may be given expressly. If 4. neither of the aeronautical authorities hàs expressed disapproval within thirty (30) days from the date of submission, in accordance with paragraph (3) of this Article, these tariffs shall be considered as approved. In the event of the period for submission being reduced, as provided for in paragraph (3), the aeronautical authorities may agree that the period within which anv disapproval must be notified shall be less than thirty (30) days.

5. If a tariff cannot be agreed in accordance with paragraph (2) of this Article, or if, during the period applicable in accordance with paragraph (4) of this Article, one aeronautical authority gives the other aeronautical authority notice of disapproval of a tariff agreed in accordance with the provisions of paragraph (2), the aeronautical authorities of the two Contracting Parties shall endeavour to determine the tariff by mutual agreement.

6. If the aeronautical authorities cannot agree on any tariff submitted to them under paragraph (3) of this Article, or on the determination of any tariff under paragraph (5) of this Article, the dispute shall be settled in accordance with the provisions of Article XVII of the present Agreement.

7. A tariff established in accordance with the provisions of this Article shall remain in force until a new tariff has been established. Nevertheless, a tariff shall not be prolonged by virtue of this paragraph for more than twelve (12) months after the date on which it would otherwise have expired.



ARTICLE XII

10 :

Commercial Activities

1. The designated airline of one Contracting Party shall be allowed to establish in the territory of the other Contracting Party, offices for the promotion of air transportation and sale of air tickets and/or execution of airway bills for cargo transportation as well as other facilities required for the provision of air transportation.

2. The designated airline of one Contracting Party shall be allowed to bring in and maintain in the territory of the other Contracting Party its managerial, commercial, operational and technical staff as it may require in connection with the provision of air transportation.

3. These staff requirements may, at the option of the designated airline, be met by its own personnel or by using the services of any other organisation, company or airline operating in the territory of the other Contracting Party, and authorized to perform such services in the territory of that Contracting Party.

4. Each Contracting Party grants to the designated airline of the other Contracting Party, the right to engage in the sale of air transportation in its territory directly and, at the airline's discretion, through its agents. The designated airline shall be entitled to sell such transportation and any person shall be free to purchase such transportation in local or any convertible currency.

5. The above activities in the territory of a Contracting Party shall be carried out in accordance with its laws and regulations.

ARTICLE XIII

Transfer of Earnings

Each Contracting Party grants to the designated airline of the other Contracting Party



the right of transfer at the official rate of exchange of the excess of receipts over expenditure earned by the airline in its territory in connection with the carriage of passengers, cargo and mail, subject to prevailing regulations in the territory of each Contracting Party.

: 11 :

ARTICLE XIV

Aviation Security

rights and with their Consistent 1. international law, the under obligations Contracting Parties reaffirm that their obligation to each other to protect the security of civil aviation against acts of unlawful interference forms an integral part of this Agreement. Without anð limiting the generality of their rights international law, the obligations under Contracting Parties shall, in particular, act in conformity with the provisions of the Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, signed at Tokyo on 14 September the Convention for the Suppression of 1963, Unlawful Seizure of Aircraft, signed at the Hague on 16 December 1970 and the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 September 1971.

2. The Contracting Parties shall provide upon request all necessary assistance to each other to prevent acts of unlawful seizure of civil aircraft and other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports and air navigation facilities and any other threat to the security of civil aviation.

mutual in their The Parties shall, 3. relations, act in conformity with the aviation the established provisions ; by security and Civil Aviation Organisation International designated as Annexes to the Convention on International Civil Aviation to the extent that such security provisions are applicable to the Parties, they shall require that operators of of aircraft of their registry or operators



aircraft who have their principal place of business or permanent residence in their territory and the operators of airports in their territory act in conformity with such aviation security provisions.

: 12 :

Each Contracting Party agrees that such 4 operators of aircraft may be required to observe the aviation security provisions referred to in required by the other paragraph (3) above Contracting Party for entry into, departure from, while within, the territory of that other or Contracting Party. Each Contracting Party shall ensure that adequate measures are effectively applied within its territory to protect the aircraft and to inspect passengers, crew, carry-on items, baggage, cargo and aircraft stores prior to and during boarding or loading. Each Contracting Party shall also give sympathetic consideration to any request from the other Contracting Party for reasonable special security measures to meet a particular threat.

5. When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of civil aircraft or other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports or air navigation facilities occurs, the Contracting Parties shall assist each other by facilitating communications and other appropriate measures intended to terminate rapidly and safely such incident or threat thereof.

6. Each Contracting Party shall take measures, as it may find practicable, to ensure that an aircraft subjected to an act of unlawful seizure or other acts of unlawful interference which has landed in its territory is detained on the ground unless its departure is necessitated by the overriding duty to protect human life. Wherever practicable, such measures shall be taken on the basis of mutual consultations.

ARTICLE XV

Exchange of Views

In a spirit of close cooperation, the



aeronautical authorities of the two Contracting Parties shall exchange views regularly on the application and interpretation of the present --Agreement.

13 :

ARTICLE XVI

Consultation and Modification

Consultations may be requested at any time by either Contracting Party for the purpose of amendments initiating any to the present Consultations may also be required on Agreement. concerning the interpretation matters and application of the present Agreement if either Contracting Party considers that an exchange of views within the meaning of Article XV has been without success. Such consultations shall begin within a period of sixty (60) days from the date of the request. Any modification of the present Agreement as a result of such consultations shall come into effect after the respective constitutional requirements have been fulfilled and when it has been confirmed by an 'exchange of letters.

ARTICLE XVII

Settlement of Disputes

1. If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of this Agreement, the Government of the Contracting Parties shall in the first place endeavour to settle it by negotiation.

2. If the Contracting Parties fail to reach a settlement by negotiations, they may agree to refer the dispute for decision to some person or If they do not so agree, the dispute shall, body. the request of either Contracting Party, be at submitted for decision; to a tribunal of three arbitrators, one tò be nominated by each Contracting Party and the third to be appointed by the two so nominated. The third arbitrator shall act as President of the arbitral tribunal. Each of the Contracting Parties shall nominate an arbitrator within a period of sixty (60) days from



: 14 :

the date of receipt by either Contracting Party from the other of a notice through diplomatic channels requesting arbitration of the dispute by such a tribunal and the third arbitrator shall be appointed within a further period of sixty (60) days. If either of the Contracting Parties fails nominate an arbitrator within the period to specified, or if the third arbitrator is not specified period, the appointed within the President of the Council of the International Civil Aviation Organisation may be requested by either Contracting Party to appoint an arbitrator or arbitrators as the case requires. In such a case, the third arbitrator shall be a national of a third state and shall act as President of the arbitral tribunal.

3. The arbitral tribunal shall determine its own procedure and decide on the apportionment of the costs of the arbitration.

4. The Contracting Parties shall comply with any decision given under paragraph (2) of this Article.

ARTICLE XVIII

Applicability of Multilateral Air Conventions

To the extent to which they are applicable to the air services established under the present Agreement, the provisions of the Convention shall remain in force in their present form between the Contracting Parties for the duration of the Agreement, as if they were an integral part of the Agreement, unless both Contracting Parties ratify any amendment to the Convention, which shall have duly come into force in which case the Convention as amended shall remain in force for the duration of the present Agreement.

ARTICLE XIX

ANNEX

The Route Schedule annexed to the present Agreement shall be part of the Agreement and all references to the Agreement shall include



: 15 :

reference to the Annex, except where otherwise expressly provided.

ARTICLE XX

Entry into Force

1. The present Agreement shall be subject to ratification and instruments of ratification shall be exchanged as soon as possible.

2. The present Agreement shall come into force on the date of the exchange of instruments of ratification.

ARTICLE XXI

Registration


This Agreement and all amendments thereto shall be registered with the Council of International Civil Aviation Organisation.


ARTICLE XXII

Termination

Either Contracting Party may, at any time, give written notice to the other, of its desire to terminate the present Agreement. Such notice shall be simultaneously communicated the to International Civil Aviation Organisation. Ιf such notice is given, the present Agreement shall terminate twelve (12) months after the date of receipt of the notice by the other Contracting Party, unless the notice to terminate is withdrawn by agreement before the expiry of this period. In the absence of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party, notice shall be deemed to have been received fourteen (14) days after the receipt of the notice by the International Civil Aviation Organisation.

 \circ





· · · · · · · · ·	·			पक्ष" कहा गया है,	गरु अंतरराष्ट्रीय नागर	यापित करने के प्रयोजन के			हो :-	नागर विमानन महानिदेशक और जाम्बिया दोनों के सैबंध में रेसे व्यक्ति या सैस्था रे	इस समय उक्त महानिवेशक या	हे जो रिष्कागो में 7	ं अनुस्छद 90 घिने में अथव	। दोनो सीवदाकारी पन्नो	ो इस करार के अनुछेद स्प मे दूसरे सीवदाकारी	• • • • • • • • • <u>-</u>	
	तत्मार यस भारत सरकार और	जाभिवया गणतैत्र सर का र के बीच	दिपक्षीय इवाई सेवा करार	भारत सरकार और जींबया गणतेत्र सरकार जिन्हें इससे आगे "सीवदाकारी पक्ष" कहा गया है,	जो 7 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में इस्ताक्षर के लिये प्रस्तुत किये §इसके बाद आंभसमय के रूप में उल्लिलत§ के सैबीधित पक्ष है,	और जो अपने-अपने मू-भागों के बीच और उनसे परे हवाई सेवार्श स्थापित करने र को अंतिम स्प देना चाहते है,	निम्नेलिसित पर सहमत हुरु है ।	सनुलेख - 1 परिभाषा	वर्तमान करार के प्रयोजन के लिये जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न	г" पद का आधाय भारत के सैबैंध मेे नागर नागर विमानन से सैबींधतं मैत्रो तथा दोनो	हे जिसे रेसे कार्यों को करने के लिरु प्राधिकृत किया गया है जो इस मंत्री दारा किये जाते हैं ।	मय" पद का आशय उस अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन आं	के लिंग प्रस्तुत किया गया था और इसम कोई भी अनुबैंध सर्व अनुरछेव 90 व 94	मे किया गया कोई भी संशोधन, जही तक कि ये अनुबंध तथा संशोधन दोनो स्वीकार किर जा चुके है, सीम्पलित है,	"नामित विमान कैपनी" पद का आशय ऐसी विमानन कैपनी से हे जो इस करार के अनुछेद अनुसार रुक सीवदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों ढारा लिखित रूप में दूसरे सीवदाकारी के वैमानिकी प्राधिकारियों को नामित की गई हो ।	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
					अभिसमय	र्षक करार				र्षे कहें		हेल इ.स. ह			ठूं ग हू		

	T रेसी शतों से ए शुल्क शाभित	प्रयोजनो के लिये मे दिया गया है।		ग्न्डे इससे आगे `	ार्य इस करार करने के बाद		को निम्नीलेक्ति			•	िमें उक्त मार्ग के उतारने के प्रयोजन	विदाकारी पक्ष	तिताकाकी गण	भाग के दूसरे -भाग के दूसरे				मे लागू विमानोे के सीवदाकारी पक्ष की			
<u>-</u> _	'टेरिफ" पद का आशय, यात्रियों और माल के वहन के लिरु अदा किये गरु गुल्क तथा रेसी शतों से इ जिनके औतर्गत ये गुल्क लागू होते है, इनमें रुजेसी और अन्य अनुर्षगी सेवाओं के लिर गुल्क शाभिल डौंगे परन्तु डाक के वहन के लिरु पारिश्रमिक या शतैं।शाभिल नहीं होगी, और	"यातायात से भिन्न प्रयोजनों के लिये अनुरछेद-2 और 96 में दिया गया है।		प्रत्येक सीवदाकारी पक्ष दूसरे पक्ष को इस करार, के अनुबंध में निर्दिष्ट मार्गों पर हुलिन्हें इससे आगे ••• • • • • • • • • • • • • • • • • •	ओर "विनिदिष्ट मार्ग" कहा गया है" इवाई सेवार्थ स्थिर करने के प्रयोजन के लिये इस करार ार प्रदान करता है । सम्मत सेवार्थ अनुरछेद 4,9 और ।। के उपबैधों का अनुपालन करने के बाद	···-	उपबंधों के अधीन, प्रत्येक सीवदाकारी पक्ष टारा नामित विमान कंपनी को निम्नीलेखित	• • • •			सम्मत सेवा का प्रचालन करते समय इस करार के अनुबैंघ में औतरराष्ट्रीय यातायात¦ में रेसे यात्रियों, कार्गो और डाक को उतार	सीवदाकारी पक्ष के भू-माग में रुकनो जिसका उद्गम या गैतव्य स्थान प्रथम सीवदाकारी पक्ष मे या त्रीसमें देश में हो ।	यायां जायमा कि यक मीतदाकारी गय	उस दूसरे सीवेदाकारी पक्ष के भू-भाग	र मिल गया है।			इंवाई दिक्वालन मेे लागू विमानों करते है, दूसरे सींवदाकारी पक्ष	F · - ·		_
·	'टेरिफ" पद का आशय, यात्रियो और माल के वहन के लिर अदा किये गर शुल्क टे जिनके औतर्गत ये शुल्क लागू होते है, इनमे रुजेसी और अन्य अनुर्धगी सेवाओं के डौंगे परन्तु डाक के वहन के लिर पारिश्रमिक या शतैं। शामिल नहीं होगी, और		<u> </u> म	। अनुबैध में निर्दि • •	सैवार्थ रिधार करने 9 और ।। के उप		. पक्ष ढारा नामि		किर उड़ना,	यातायात से भिन्न प्रयोजनों के लिए दूसरे सीवदाकारी पक्ष के भू-भाग में रूकना, और	किसी निर्दिष्ट मार्ग पर सम्पत सेवा का प्रचालन करते समय इस करार के अनुबंध लिये विनिर्दिष्ट स्थान पर औतरराष्ट्रीय यालायात में रेसे यात्रियों, कार्गो और डाक को	क्वा उद्गम या गेत					ची प्रयोग्यता	पक्ष की विषियों और विनियम, जो औतरराष्ट्रीय इवाई दिक्वालन ऐसे विमान के प्रचालन तथा दिक्वालन को शासित करते है, दूसरे			-
(I)	और माल के वह और माल के वह ते है, इनमे रजेसी तीरश्रमिक या शर्तो	'भू-भाग'', "इवाई सेवा'', "क्षेतरराष्ट्रीय इवाई सैवा'' और ल्कना'' पदौ का आशय वही है जो उन्हें आभिसमय के क्रमशः	<u> अनुस्ठेद-2</u> अधिकार प्रदान करना	को इस करार के	गया है" इवाई र सेवार्थ अनुरछेद 4,9		प्रत्येक सीवदाकारी	· <u> </u>	बिना उतरे हुरु दूसरे सीवदाकारी पक्ष के भू-भाग से होकर उड़ना,	दूसरे सीवदाकारी प	ा का प्रचालन क य यातायात मे रेक्षे	म मे रुकन् िंजसब	ू का के मैगाणा- ° में किसी भी बान का वर्ष या नहीं	द्र राजा गर्भ के मू-माग मे,	क को विमान में	अनुष्ठे द - 3	राष्ट्रीय विषियों और विनियमों के प्रयोग्यता	और विनियम, जो क्षेतरराष्ट्रीय बालन तथा दिक्वालन को शासित			
	आ हाय, यात्रियों ये शुल्क लागू होते बहन के लिस् पा	ई सेवा", "क्षेतर आशय वही है ज	1 67	पक्ष दूसरे पक्ष <u>ह</u>	स्ट मार्गे" कहा त ता है । सम्मत	_	बेयों के अयीन,		रे सीवदाकारी पक्ष		ं पर सम्पत सेव न पर औतरराष्ट्रीर	ु दूसरे सीवदाकारी पक्ष के भू−माग घ−माग से सा तोसरे देश से हो ।	ше- • •	प्रारं सीवदाकारी सिरे सीवदाकारी	त्रयो, कार्गो या डा		राष्ट्रीय विषि	सीवदाकारी पक्ष की विधियों औ रहते हुरु रेसे विमान के प्रचा	गू होगे ।	.	
	"टैरिफ" पद का है जिनके औतर्गत ः होंगे परन्तु डाक के	"भू-भाग", "हवाः स्कना" पदो का		त्येक सीवदाकारी	ार्ग" ओर "विनिदिर्ट अधिकार प्रदान करता	की जा सकती है ।	इस करार के उप	होंगे :	क्ष्मा उतरे हुरु दूस	ातायात से भिन्न ।	किसी निर्दिष्ट मार्ग पर लिये विनिर्दिष्ट स्थान पर	हेतु दूसरे सीवदाका के <u>प्र</u> -माग मे या त्रे		विमान कैंपनी को दूसरे	ारु जाने वाले या [ि]			रक सीवदाकारी प% ⊓ में रहते हूर रेसे			
 N 	ອງ ອີງ ອີງ ອີງ ອີງ ອີງ ອີງ ອີງ	≂ pr bo bo			"सम्मत सेवार्ग" मे निर्दिष्ट अधिक	कमी मी हुरि व	2. *	अपिकार प्र दान	ूँक ूँ		हूम ति ति	45 48	· F	नामित 1	स्थान को ले ज			।. रु उसके भू-भाग	विमान		

दारा इन अधिकारी के प्रयोग पर ऐसी हाते लगोने का आधिकार होगा जी कि वह आवश्यक समझे थोद न न हो कि उस विमान कैपनी का पर्याप्त स्वाभित्व और प्रभावी निर्यत्रण दूसरे सीवदाकारी पक्ष या मे मे निहित है । <u>धनातन है ।</u> <u>धनातन के प्रति तान</u> अनुस्केत करना अथवा रोक देना प्रत्येक सीवदाकारी पक्ष को दूसरे सीवदाकारी पक्ष टारा नाभित प्रापिकार को प्रतिसेहत करने प्रकारो के प्रयोग पर ऐसी हाते तगाने का अधिकार होगा जो वह उचित समझे यदि विमान कंपनी उस सं राख के कानूनो तथा विनियमो का अधिकार होगा जो वह उचित समझे यदि विमान कंपनी उस सं राख के कानूनो तथा विनियमो का अधिकार होगा जो वह उचित समझे यदि विमान कंपनी उस के उन हातों को पूरा करने मे असमर्थ है लिसके तहत इस करार के अधेन उसे अधिकार दिरु गए थे	भ जिस्ते प्रति भ जिस्ते प्रति	कर सकते है कि वह सैतुष्ट करे कि वह उने कानूनों और विनियमों के अभीन निर्धारित शतौं को पूरा त्य हे जो सामान्यतः उनके टारा विमान वाइको और क्षेतरराष्ट्रीय बाणिज्यिक विमान सेवाओ, के प्रचालनो ये जाते है। प्रत्येक सीवदाकारी पक्ष को विमान कंपनी के नामीकन को स्वीकार करने से इंकार करने या विमान इस करार के अनुछोट 2 के पैराप्राफ 828 में निर्दिष्ट अधिकारों की मंजूरी को रोक देने अथवा विमान	वीकार करने से ईकार करने या विमान रो की मैनूरी को रोक देने अथवा विमान
<u>अनुस्केद-5</u> <u>अवासन अधिकारों को प्रतिसंहत करना अथवा रोक देना</u> प्रत्येक सीवदाकारी पक्ष को दूसरे सीवदाकारी पक्ष दारा नामित प्रापिकार को प्रतिसंहत करने अपिकारों के प्रयोग पर रेसी धर्त लगाने का अपिकार होगा जो वह उचित समझे यदि विमान कंपनी उस पक्ष के कानूनों तथा विनियमों का अनुपालन करने में असमर्थ रहते है अथवा पहले सीवदाकारी पक्ष के उन शतों को पूरा करने में असमर्थ है जिसके तहत इस करार के अपीन उसे अपिकार दिरु गर थे	क न र	के प्रयोग पर रेसी शर्ते लगाने का औधकार होगा जो कि वह वमान कैपनी का पर्याप्त स्वापित्व और प्रभावी निर्यत्रण दूसरे	ाा जो कि वह आवश्यक समझे यदि उसका निर्यत्रण दूसरे सीवदाकारी पक्ष या उसके
प्रत्येक सीवदाकारी पक्ष को दूसरे सीवदाकारी पक्ष ढारा नामित प्रापिकार को प्रतिसैइत करने अधिकारों के प्रयोग पर रेसी र्शते तगाने का अधिकार होगा जो वह उचित समझे यदि विमान कैपनी उस पक्ष के कानूनो तथा विनियमों का अनुपालन करने से असमर्थ रहते है अथवा पहले सीवदाकारी पक्ष के उन रातों को पूरा करने मे असमर्थ है जिसके तहत इस करार के अधेन उसे अधिकार दिरु गर थे	- 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -	<u> अनुस्केद-5</u> <u>अनुस्केद -5</u> प्रचातन अपिकारों को प्रतिसंहत करना अथवा रो	रोक हेना
	भरिकारो भरिकारो पक्ष के इ. उन श	पक्ष को दूसरे सीवदाकारी पक्ष टारा नामित क्षी शर्त लगाने का अधिकार होगा जो वह उचि नयमो का अनुपालन क्रंरने में असमर्थ रहते है ने में असमर्थ है जिसके तहत इस करार के	प्रापिकार को प्रतिसंहत करने समझे यदि विमान कंपनी उस क्षयवा पहले सीवदाकारी पक्ष के गिन उसे आंधकार दिरु गरु थे



: 4 :

अनुच्छेद-4 के पैराग्राफ 4 में दिर गर उपबंधों का पालन नहीं किया जाता तो भी यह लागू होगा । रेसी कार्रवाई इस करार के अनुच्छेद 16 के अनुसरण में दोनों सैविदाकारी पक्षों के बीच आपसी परामर्श के बाद की जारगी बशर्ते कि प्रचालनों का तत्काल निर्तंबन अधवा शर्तों का लगाया जाना, कानूनों और विनियमों अधवा इस करार के उपबंधों के आगे और उल्लंघन को रोकने के लिर आवश्यक न हो ।

<u>अनुच्छेद-6</u> प्रयोक्ता प्रमार

एक सैविदाकारी पक्ष के भू-भाग में दूसरे सैविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी ढारा हवाई अड्डों और अन्य विमानन सैबैंथी सुविधाओं का प्रयोग करने के लिए लिया जाने वाला प्रभार ऐसी ही अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं में लगी हुई प्रथम सैविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी के विमानों दारा अदा किए जाने वाले प्रभार से अधिक नहीं होगा ।

<u>बनुच्छेद-7</u> सीमा शुल्क और अन्य प्रभारों से छूट

एक सैविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी के विमान में प्रविष्ट और उसमें लादी गई ईंधन, स्नेइक तेल अतिरिक्त पुर्जे, नियमित उपस्कर और विमान भंडार की सप्लाई को जिसका उपयोग केवल उसी विमान के लिये या उसके दारा किया जाना हो और जो उस भू-भाग के अंतिम हवाई अड्डे से प्रस्थान करते समय विमान में ही रखा हुआ हो, सीमा-शुल्क, निरीक्षण शुल्क या ऐसे ही अन्य प्रभारों के संबंध में उससे कम अधिमान्यता प्रदान नहीं की जाएगी जो दूसरे सैविदाकारी पक्ष दारा अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं का प्रचालन कर रही स्यरलाइनों को प्रदान की जाती है ।

2. बशर्ते कि किसी भी सैविदाकारी पक्ष को, दूसरे सैविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनियों को तब तक सीमा-शुल्क, निरीक्षण शुल्क या रेसे ही अन्य प्रभारों पर छूट या रियायत देने की अनुमति नहीं होगी जब तक कि रेसा दूरा सैविदाकारी पक्ष पहले सैविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी को रेसे ही प्रभारों से छूट या रियायत प्रदान नहीं करेगा ।

<u>बनुक्तेद-8</u> धमता संबंधी व्यवस्था

1. प्रत्येक सैविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी को दोनों पक्षों के भू-भागों के बीच और उनसे परे अंतरराष्ट्रीय यातायात के वहन के लिये सभी प्रकार से उचित और समान अवसर उपलब्ध होगे ।

2. दोनों में से किसी भी सीवदाकारी पर्श्व की नामित विमान कंपनी दारा सम्मत सेवाओं के प्रचालन में दूसरे पक्ष की नामित विमान कंपनी के हितों की ख्यान से रखा जारगा ताकि उन सेवाओं पर अनुचित प्रभाव न पड़े जो कि उक्त विमान कंपनी उस संपूर्ण मार्ग या उसके किसी हिस्से पर उपलब्ध कराती है। 3. उपलब्ध कराई जाने वाली क्षमता, प्रचालित की जाने वाली सेवाओं की आवृत्ति और दूसरे सीवदाकारी पक्ष के भू-भाग से गुजरने वाली या उसमें समाप्त होने वाली हवाई सेवा के स्वरूप के संबंध में,नामित विमान कंपनियों के बीच पैराग्राफ । और 2 में निर्धारित सिदातों और इस अनुछेद के उपबंधों के अनुसार सहमति होगी । ऐसी सहमति दोनों सीवदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारियों के अनुमोदन के अधीन होगी ।

5 :

4. किसी भी सैविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी दारा उपलब्ध कराई जाने वाली विमान क्षमता या प्रचालित की जाने वाली सेवाओं की आवृत्ति में कोई भी वृदि प्रथमतः विमान कंपनियों के बीच सहमति से होगी और यह दोनों पक्षों के भू-भागों के बीच यातायात की अनुमानित आवश्यकताओं तथा संयुक्त रूप से सम्मत या निर्धारित किसी भी अन्य यातायात के आधार पर वैमानिकी प्राधिकारियों के अनुमोदन के अधीन होगी । ऐसी सहमति या समाधान होने तक, पहले से लागू विमान क्षमता और आवृत्ति का अधिकार कायम रहेगा ।

5. यदि सीवदाकारी पक्षों की नामित विमान कंपनियां इस अनुछेद के प्रावधानों के अंतर्गत किसी मामले पर जिसमें उनकी सहमति अपेक्षित है, सहमत होने में असफ्ल रहते हैं तो, सीवदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारी उस पर सहमत होने का प्रयास करेंगे ।

6. उपलब्ध कराई जाने वाली क्षमता, प्रचालित की जाने वाली सेवाओं की आवृत्ति और दूसरे सैविदाकारी पक्ष के मू-भाग से गुजरने वाली या उसमें समाप्त होने वाली इवाई सेवा का स्वरूप जिनके संबंध में इस अनुछेद के प्रावधानों के अनुसार सहमति हुई थी सैविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारियों के बीच पत्रों का आदान-प्रदान से विनिर्दिष्ट किया जारगा ।

<u>अनुच्छेद-9</u> सूचना प्रचालन की व्यवस्था

प्रत्येक सैविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी अपनी नामित विमान कॅपनी से अपेक्षा करेंगे कि वह दूसरे सीवदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को, जितना पहले समव हो, सम्मत सेवाओं के शुरू होने से पूर्व, सेवा की किस्म प्रयोग में लार जाने वाले विमान के प्रकार, उड़ान अनुसूचियों, लागू किये गर टैरिफ और सम्मत सेवाओं के प्रचालन से संबंधित सभी प्रासींगक सूचना देगी और रेसी सूचना भी देगी जिससें वैमानिकी प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो सके कि वर्तमान करार की सभी अपेक्षाओं का विधिवत् ढंग से पालन किया जा रहा है । इस अनुच्छेद की अपेक्षार इसी तरह सम्मत सेवाओं से संबंधित किन्हीं भी परिवर्तनों पर लागू होगी ।

<u>अनुकेद-10</u> सांस्यिकीय सूचना की व्यवस्था

प्रत्येक सीवदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी अपनी नामित विमान कंपनी से अपेक्षा करेंगे कि वह दूसरे सीवदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को, उस दूसरे §राष्ट्र§ के भू-भाग को या वहां से होकर प्रत्येक मास के दौरान सम्मत सेवाओं पर वाहित यात्रियों से संबंधित आंकड़े जिसमें यात्रियों के विमान में सवार होने और

	ीप्र प्रत्येक मास के अंत में प्रस्तुत किंग		क्ष के भू-भाग से अथवा उसके भू-भाग समे परिचालन की लागत, उाँचत लाभ ा जारुगा ।	उसके रुक भाग पर प्रचालन कर रही ा नामित विमान कैपनियों के बीच यदि	रीय हवाई परिवहन सैंघ के टेरिफो के	कम से कम साठ १४७१ दिन पहले मेले जाश्री । विशेष मामलो मे यदि	छेद के ग ैरा ४२१ के अनसार पस्तत	की प्राधिकारी, अपनी असहमति प्रकट व्यवस्था है, यदि टैरिफ प्रस्तत करने	10	१ू2१ँ के अनुसार इस टैरिफ पर सहमति नहीं होती हे या इस अनुछेद के दौरान रुक वैमानिको प्राधिकारी दूसरे वैमानिक प्राधिकारी के पैराप्राफ	तो दोनो सीवदाकारी पक्षो के वैपानिके	उन्हें प्रस्तुत किंस गर टेरिफ अथवा ो सके तो इस करार के अनुच्छेद-।7	इस अनच्छेद के उपबैधों के अनसार	
	सलक जलते संस्तात करेगी । ऐसे आंकड़े यथासीमव शीप्र	<u>अनुस्केद-11</u> टेरिफ	। रुक सीवदाकारी पक्ष की विमान कंपनी ढारा दूसरे सीवदाकारी पक्ष के भू-भाग से के लिरु वडन किरु जाने वाला टेरिफ उचित स्तरो निर्धाारत किया जारुगा जिसमे परिचालन की और अन्य विमान कंपनियों के टेरिफो सीइत सभी सेगत पडलओं पर ध्यान दिया जारुगा ।	r के पैरा । मे उल्लिसित टैरिफ पर पूरे मार्ग अथवा उसके रुक भाग पर प्रचालन के साथ परामर्श करते हुये दोनों सींवदकांरी पक्षों की नामित विमान कैपीनयों के	होगी और ऐसा करार, जड़ी भी संभव हो क्षेतरराष्ट्रीय डवाई परिवहन संघ के टेरिफो का प्रयोग करते हुरु किया जारुगा ।	सम्मत टैरिफ उसके होने की प्रस्तावित तारील से कम से कम वैमानिकी प्राधिकारियों के पास अनुमोदन के लिर मेजे जारेंगे	री सहमत हो तो यह अवींप घटाई जा सकती है । यह अनमोटन सारू का से दिया जा सकता है योट इस अनस्केंद के सेगा है 18 के अनसार	∦30१ दिन की अवीध के भीतर कोई भी वैमानिकी प्राधिकारी, अपनी असहमति 1वित समझे जारगे। जैसा कि पैराप्राफ ∦31 में व्यवस्था है, यदि टैरिफ प्रस्तत	वैमानिकी प्राधिकारी इस बात पर स तीस §30§ दिन से कम होगी ।	अनुर्छेद के पैराप्राफ १४१ के अनुसार इस टेरिफ पर सहमति नहीं होती है या इर अनुसार लागू अवीध के दौरान रुक वैमानिकों प्राधिकारी दूसरे वैमानिक प्राधिकारी के	१४१ के प्रावधानों के अनुसार सहमत टेरिफ की अस्वीकृति का नोटित देता है त प्राधिकारी, आपसी सहमीत से टेरिफ निधीरित करने का प्रयास करेंगे ।	यदि वैमानिकी प्राधिकारी इस अनुछेद के पैराप्राफ १ँ३१ँ के क्षेतर्गत उन्हें प्रस्तुत किरु गर टेरिफ अथवा के पैराप्राफ १ू५१ँ के निर्दिष्ट टेरिफ के निर्धारण पर सहमत न हो सके तो इस करार के अनुछेद-।?	के अनुसार इस विवाद का निपटान किया जारुंगा । जब तक नर टेरिफ का निर्धारण नहीं केर लिया जाता तब तक इस अनच्छेद के उपचेधो के	रहेगा । तथापि, इस पैरा के आंधार पर टैरिफ को उस तारीख के बढ़ाया जा सकता, जिस तारीख, को यह अन्यया समाप्त हो जाता ।
 9 	उतरने के स्थान भी दिसार गर जारंगे ।		। रुक सींवदाकारी पक्ष के लिस् वहन किस् जाने वाला और अन्य विमान कैपनियों के टेरी	 इस अनुरछेद के पैरा । मै अन्य विमान कम्पनियों के साथ परामर्श 	संभव हुआ तो सहमीत होगी और रेसा करार, जही भी संभ निर्धारण के लिर पदीतयों का प्रयोग करते हुरु किया जारुगा ।	3- इस प्रकार से सम्पत दोनोे सींवदकारी पक्षों के वैमां	उक्त प्राधिकारी सहमत हो तो य 4. यह अनमोटन सफ	ने की तारील से तीस करे तो ये टेरिफ अनुम	क्षे अवधि कम क्षे जाती है तो अस्वीक्वेति अधिसूचित क्षे जाती है,	5• यदि इस अनुर्छेद के पैराप्राफ के पैराप्राफ १ू4१ू के अनुसार लागू अवीध	क्यानो के गपसी सहा	6∙ यदि वैमानिको प्राधिक इस अनुरछेद के पैराप्राफ ∦्र§ के	के उपर्वधों के अनुसार इस विवाद 7- जब तक नर टेरिफ	तीरत टेरी आधिक के

- - -

	वह न ह वाई	वहन नुमीत	कार्मिको विमान सेवाओ	कोई का सेहे	सूरी र	दारा निमय बलित	
an a	सीवदाकारी पक्ष के भू-भाग मे, इवाई परिवहन के लिर स्यरवे चिलो के निम्पादन तथा हवाई तु कार्यालय सोलने की अनुमति होगी ।	नामित विमान कंपनी को दूसरे सीवदाकारी पक्ष के भू-माग मे इवाई परिवहन प्रबंधक्षेय वाणिज्यिक, प्रचालन संबंधी और तकनीकी स्तफ को लाने की अनुमीत	र के श्वी	ग मे रहने और	अनुसार		क्रारी पक्ष इस बात क्षे को बनाये रखने सैबैधी कर्मन क्रान्टे क्षेत्रान्टे
	भाग मे, इव के निष्पादन अनुमति होगी	गग मे ह भ को ला	कंपनी के विकल्प पर, अपने स्वय किसी ऐसे अन्य संगठन, कंपनी अ उसे सीवदाकारी पक्ष के भू-भाग मे	ो अपने मू-भा कार्य मे सैलग्न अधिकार होगा स्वत्तेत्र होगा ।	नयम भ	उस विमान कैपर्न जस्व का सरकारी इ1 के मू-मान मे	ी पक्ष बनाये
	के भू-भ विलो बे ते की आ	क मू- कि स्टाप	म पार, सौगठन, पक्ष के भ	मी को विक्रेसे का का ओरि तित्तर स्व	और विनियम के	को, उस त राजस्व री पक्ष वे	
	क्रारी पक्ष के भू • स्यरवे विलो तिय सोलने की	कारी पक्ष ोर तकने	के विक रेसे अन्य वदाकारी	मान कंप ि सैबैधी क्रि करने रीदने के	इसके नियम	की नी यक अर्जित सीवदाका	त्वो के अनुरुप सीवदाकारी पक्ष र विमानन की सुरक्षा को बनाये कैनरसभेग कान ने किंट ज
	····	रे सींवदा स ौ चेची _अ	न केपनी भ किसी उसे सी _र	की नाभित विमान कंपनी को अपने हवाई परिवइन सैबंधी विक्री कार्य मे परिवहन की बिक्री करने का अधिकार परिवहन को हारीदने के लिर स्वतेत्र हो		नामित विमान कंपनी को, उस ि ति व्यय से अधिक अर्जित राजस्व व अंतरण प्रत्येक सीवदाकारी पक्ष के	रत्वो के र विमान
all bar and the second se	कंपनी को, दूसरे सीवदाकारी पक्ष के भू-भाग मे, इव। कार्गों परिवहन के लिर स्यरवे चिलों के निष्पादन को बढ़ावा देने हेतु कार्यालय सोलने की अनुमीत होगी	को दूस प्रचालन	का, नामित विमान मे प्रचालन कर रहे जा सकता है, जिन्हे	भ प्रत्येक सीवदाकारी पक्ष, दूसरे सीवदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी को अपने मू-भा और विमान कंपनी के विवेक पर उसके रुजेटों के माध्यम से इवाई परिवइन सैक्षेथी विक्री कार्य मे सैलान और कामान कंपनी के विवेक पर उसके रुजेटों के माध्यम से इवाई परिवइन सैक्षेथी विक्री कार्य मे सैलान औषकार प्रदान करता है । नामित विमान कंपनी को रेसे परिवइन की विक्री करने का अधिकार होगा । भी व्यक्ति स्थानीय या किसी परिवर्तनीय मुद्रा मे इस प्रकार के परिवहन की कारीदने के लिर स्वतंत्र होगा ।	पर्युक्त गीतीवीथयी <u>अनुस्केद-13</u> राजस्व का जैतर ण	सीवदाकारी पक्ष की नामित विमान के परिवइन के संबंध में व्यय से आधि करता है । यह अंतरण प्रत्येक सं बनुकेंद-। 4	के क्षेतर्गत अपने अधिकारों और दायित्वों के अनुरुप इसक्षेप की कार्रवाई के खिलाफ नागर विमानन की
		ि कैंपनी लिभियक,	ग, नाभि प्रचालन सकता	प्रत्येक सीवदाकारी पक्ष, दूसरे सीवदाकारी पक्ष कंपनी के विवेक पर उसके रुजेटो के माध्यम से 1न करता है । नाभित विमान कंपनी को रेसे ानीय या किसी परिवर्तनीय मुद्रा मे इस प्रकार के	ग्युंस <u>अनुस</u> े		विश्वानन पुरबा ति अपने अपिकारो और की कार्रवाई के खिलाफ
비민	रक सीवदाकारी पक्ष की नामित विमान और इवाई टिक्टो की चिक्री और/या की व्यवस्था के लिर अपेक्षित अन्य सुविधाओ	त विमान क्विय वा	र्मचारियों सैबंधी इन आवश्यकताओं क दूसरे सीवदाकारी पक्ष के भू-भाग मे तजो का उपयोग करके पूरा किया जा हे लिरु प्राधिक्वत किया गया हो ।	r पक्ष, दूसरे सीवदाक पर उसके स्जेटो के नाभित विमान कैंपनी रेवर्तनीय मुद्रा मे इस	मू-भाग मे ु <u>अभित</u>	दूसरे सीवदाकारी माल के परिवहन प्रदान करता है अन्म	अपने और कार्रवाई
	की नामित की विक्री खित अन्य		चितिरयो सैबैधी इन आवश्यकताओं सिरे सीवदाकारी पक्ष के भू-भाग औ का उपयोग करके पूरा किया तिरु प्राधिकृत किया गया हो ।	त, दूसरे उसके रू त विमान् नीय मुद्र	के मू-मा	दूसरे माल प्रदान	क्षेतमेत तक्षेप की
	सीवदाकारी पक्ष की हवाई टिकटो की स्था के लिर अपेक्षित	रक सीवदाकारी पक्ष की के लिरु यथापेक्षित अपने	ि सैर्बधी इन विदाकारी पा उपयोग कर पिथकृत किया	वदाकारी पक्ष विवेक पर है । नामि केसी परिवर्त	<u>त स</u>	ह सीवंदाकारी पक्ष यात्रियो, डाक और करने का औरकार न होगा ।	
	सीवदाक। हवाई । स्था के ।	ं सीवदाका तिरु यथा	रियो सीव क	येक सीवता मनी के वि करता है य या किसी	सीविद कि री	क सीवेदाक यात्रियो,	तप्ट्रीय कानून इ गैर-कानूनी के गौ र उसीग
	h .	स्क शाके 1	कर्मचा अथवा दूसरे की सेवाओं मादन के लि	प्रत्येक ान कैपर्न प्रदान व स्थानीय	र्ष 	e L	
	के सैवर्धन परिवहन व	2. म्री व्यवस्था होगी ।	3. क्व दारा अथवा द कंपनी की सेवा के निम्पादन के	भ प्रत्येक सींवदाकारी पक्ष, दूसरे सींवदाकारी पक्ष और विमान कंपनी के विवेक पर उसके रुजेंटों के माध्यम से आंधकार प्रदान करता है । नामित विमान कंपनी को रेसे सीं व्यक्ति स्थानीय या किसी परिवर्तनीय मुद्रा में इस प्रकार के सी व्यक्ति स्थानीय या किसी परिवर्तनीय मुद्रा में इस प्रकार के	5. क्षे जार्रगी	प्रत्ये उसके भू-भाग मे दर पर क्षंतरण विनियमो के अधे	गुरिस करते
				66 (71 (7)	שי יש	<u>-</u> b w M	- \$



और दायित्वों की व्यापकता को सीमित किये बिना सैविदाकारी पक्ष विशेषकर 14 सितम्बर, 1963 को टोक्यो में इस्ताक्षरित विमान पर किर जाने वाले अपराधों और कतिपय अन्य कृत्यों से संबंधित अभिसमय, 16 दिसम्बर, 1970 को हेग में इस्ताक्षरित विमान के गैर-कानूनी अभिग्रहण के अनुरोध से संबंधित अभिसमय और 23 सितम्बर, 1971 को मौट्रियल में इस्ताक्षरित नागर विमानन की सुरक्षा के विरूद गैर-कानूनी कृत्यों के निरोध से संबंधित अभिसमय के उपबंधों के अनुरूप कार्रवाई करेंगे 1

2. अनुरोध किर जाने पर सैविदाकारी पक्ष गैर-कानूनी रूप से सिविल विमानों का अभिग्रहण किर जाने की कार्रवाईयों और रेसे विमानों, उनके यात्रियों, कर्मीदल हवाई अड्डों और इवाई दिक्वालन सुविधाओं के विरूद गैर-कानूनी कृत्यों तथा नागर विमानन की सुरक्षा के लिर किसी भी अन्य खतरे से बचाव के लिर रक दूसरे को सभी संभव सहायता प्रदान करेंगे ।

3. दोनों पक्ष अपने परस्पर संबंधों में, उस सीमा तक अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन दारा स्थापित और अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन ओभसमय के अनुबंधों के रूप में निर्दिष्ट नागर विमानन सुरक्षा उपबंधों के अनुरूप कार्रवाई करेंगे जहां तक वे सुरक्षा उपबंध संविदाकारी पक्षों पर लागू होते हैं, उनके पंजीकृत विमानों के प्रचालकों या रेसे विमान के प्रचालकों, जिनका व्यवसाय का प्रमुख स्थान अधवा स्थाई निवास उनके मू-भाग में है तथा उनके राज्य भू-माग में, हवाई अड्डों के प्रचालकों से वे यह अपेक्षा करेंगे कि वे इन विमानन सुरक्षा उपबंधों के अनुरूप कार्य करें ।

4. प्रत्येक सैविदाकारी पक्ष इस बात पर सहमत है कि विमान के इस प्रकार के प्रचालकों, दूसरे सैविदाकारी पक्ष के भू-भाग में प्रवेश के लिए, वहां से प्रस्थान के लिये अथवा उसके अंदर उस दूसरे सैविदाकारी पक्ष दारा अपेक्षित उपर्युक्त पैरा §3§ में उल्लिसित सुरक्षा उपबंधों का अनुपालन करना पड़ सकता है । प्रत्येक सैविदाकारी पक्ष को यह सुनिश्चित करना होगा कि विमान की सुरक्षा और विमान पर सवार होते समय अथवा लदान के दौरान यात्रियों, कर्मीदल, सामान, माल और विमान मैडार के निरीक्षण के लिए उसके भू-भाग के अंदर प्रभावी और पर्याप्त उपाय लागू किये जाते है । प्रत्येक सैविदाकारी पक्ष किसी विशेष धमकी से निपटने के लिए विशेष सुरक्षा उपाय करने के बारे में दूसरे सैविदाकारी पक्ष से प्राप्त किसी अनुरोध पर संहानुभूतिपूर्वक विचार भी करेगा ।

5. यदि किसी सिविल विमानन के गैर-कानूनी ढंग से अभिग्रहण किये जाने की घटना की धमकी दिये जाने की कोई घटना घटती है अथवा इस प्रकार के विमान, उसके यात्रियों और कर्मीदल, हवाई अड्डों अथवा विमान दिक्वालन सुविधाओं की सुरक्षा के विरूद कोई कृत्य किये जाते हैं तो सैविदाकारी पक्ष इस प्रकार की घटना अथवा धमकी से शीघ्र निपटने के लिए संचार माध्यमों और अन्य उपायों के दारा एक दूसरे की सहायता करेंगे ।

6. प्रत्येक सैविदाकारी पक्ष ऐसे उपाय करेगा जैसे कि वह व्यावहारिक समझे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई विमान, जिसके विरूद गैर-कानूनी आभिग्रहण की कार्रवाई की गई है अथवा गैर-कानूनी इस्तक्षेप की अन्य कार्रवाईयां की गई है, जो उसके भू-भाग में उतरा है उसे भूमि पर रोका जार बशर्ते उसका प्रस्थान मानवीय जीवन की सुरक्षा की अभिभावी कर्तव्य दारा आवश्यक न हो जाय । जब कभी व्यावहारिक हो, ऐसे उपाय आपसी परामर्श से किये जाएंगे ।

: 8 :

|--|

.

- ---



10

:

उ. यह मध्यस्थता न्यायाधिकरण अपनी कार्यीविधि निर्धारित करेगा और मध्यस्थता संबंधी लागतों के विमाजन के संबंध में निर्णय लेगा।

4. सीवदाकारी पक्ष इस अनुच्छेद के पैराग्राफ §28 के अतर्गत दिस गर किसी भी निर्णय का पालन करने के लिस वचनबद होंगे ।

<u>अनुच्छेद- 18</u> बहुपक्षीय इवाई अभिसमयों की प्रयोज्यता

जहां तक अभिसमय के उपबंध इस करार के अधीन स्थापित इवाई सेवाओं पर लागू होते हैं, ये उपबंध करार की अवधि के दौरान सैविदाकारी पक्षों के बीच अपनी बर्तमान स्थिति में लागू रहेंगे जैसा कि वे करार के अभिन्न अंग हों, जब तक दोनों सैविदाकारी पक्ष अभिसमय में किसी संशोधन का अनुसमर्थन नहीं कर देते । जो कि विधिवत रूप से प्रवर्तन में आ जारगा और इस स्थिति में यथा संशोधित अभिसमय इस करार की अवधि के दौरान लागू रहेगा ।

<u>अनुच्छेद- 19</u> अनुबंध

1

इस करार के साथ संलग्न मार्ग अनुसूची इस करार का हिस्सा माना जारगा और सिवार जहां जहां स्पष्ट रूप से अन्यथा व्यवस्था न हो, करार से संबंधित सभी संदर्भों में अनुबंध के लिए संदर्भ भी शामिल होगा।

<u>अनुच्छेद-20</u> प्रबर्तन मे आना

1. यह करार अनुसमर्थन के अधीन होगा और यथासंभव शोध्र अनुसमर्थन के दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया जारगा ।

2. यह करार अनुसमर्थन दस्तावेजों के आदान-प्रदान की तारीख से लागू होगा ।



यह करार और इससे संबद सभी संशोधन अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की परिषद के पास पंजीकृत किर जारंगे ।



कोई भी सैविदाकारी पक्ष किसी भी समय इस करार को समाप्त करने के लिए दूसरें पक्ष को लिसित नोटिस दे सकता है । ऐसा नोटिस साथ-साथ ही अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को भी भेजा जाएगा। यदि ऐसा नोटिस दिया जाता है तो यह करार सैविदाकारी पक्ष दारा नोटिस प्राप्त होने की तारीस से बारह मास बाद समाप्त हो जाएगा बशर्ते कि इस अवधि की समाप्ति से पूर्व ही समापन का यह नोटिस सहमति से वापस नहीं ले लिया जाता । दूसरे सैविदाकारी पक्ष दारा प्राप्ति सूचना न भेजे जाने की स्थिति में, यह नोटिस अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन दारा प्राप्त किए जाने की तारीस से चौदह दिन बाद प्राप्त किया गया मान लिया जाएगा।

दिनांक 15 नवम्बर, 1993 को नई दिल्ली में इिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं के प्रत्येक दो-दो सेटों पर चार मूल सेटों में इस्ताक्षर किस् जिनमें से सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक है। इसके निर्वचन में कोई भी मतभेद होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा ।

पी0 के का जी

कृते मारत सरकार

11

:

पी0के0 बेनजी तंग्रवत तचिव कृते जाम्बिया गणतंत्र सरकार

इयान ती 0बी 0 तिकाजुवे ह खुच्चा बुक्त



Th Z ZY

: 12 :

भारत सरकार दारा नामित विमान कंपनी को इस खण्ड में निर्दिष्ट मार्गों पर प्रत्येक दिशा में विमान सेवार प्रचालित करने और जीबिया के भू-भाग में यातायात प्रयोजनों के लिए यहाँ निर्दिष्ट किर गर स्टेशनों पर अवतरण करने का अधिकार होगा ।

उद्गम स्थान	मध्यवर्ती स्थान	र्जीबया मेे स्थान	परे के स्थान
भारत के स्थान	कोई भी दो स्थान	लुसाका	कोई भी दो स्थान
			· .

<u>सण्ड-।।</u>

. 1

T

जीबिया गणराज्य सरकार दारा नामित विमान कंपनी को इस लण्ड में निर्दिष्ट मार्गों पर प्रत्येक दिशा में विमान सेवार प्रचालित करने और भारत के मू-भाग में यातायात प्रयोजनों के लिर यहां निर्दिष्ट किये गर स्टेशनों पर अक्तरण करने का अधिकार होगा ।

.

उद्गम स्थान	मध्यवर्ती स्थान	<u>भारत के स्थान</u>	परे के स्थान
जीविया के स्थान	कोई मी दो स्थान	बंबई	कोई भी दो स्थान
		सण्ड-)	· · ·

1. नामित विमान कंपनियों के विकल्प पर, निर्दिष्ट मार्गों के स्थानों को किसी एक या सभी उड़ानों पर छोड़ा जा सकता है।

2. उपर्युक्त मार्गों पर केवल तीसरे और चौथे स्वतंत्र यातायात अधिकारों का प्रयोग किया जारुगा । नामित विमान कंपनी उपर्युक्त मार्गों पर अपने मध्य विश्राम वाले यातायात संहित, किसी भी पांचवें स्वतंत्र यातायात का वहन नहीं करेगा ।